भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 36

(जिसका उत्तर मंगलवार, 24 फरवरी, 2015 को दिया गया)

<u>नए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी उपबंधों का कार्यान्वयन</u>

36. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दायरे में कितनी भारतीय कंपनियों के होने का अनुमान है और इस वित्तीय वर्ष के दौरान उनके द्वारा कुल कितनी धनराशि व्यय किए जाने का अनुमान है;

(ख) इसका भारत में सामाजिक क्षेत्र पर क्या-क्या लाभकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी व्यय के लिए दिशा-निर्देशों का संशोधन किया जा रहा है ताकि इसे और अधिक व्यापक बनाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो सरकार नए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी उपबंधों के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाले संदेह के बारे में कारपोरेट क्षेत्र के प्रश्नों से कैसे निपटेगी?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) और (ख) : वर्ष 2014-15 पात्र कंपनियों के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत होने वाले व्यय से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन का पहला वर्ष होने के कारण प्रावधानों की परिधि में आने वाली कंपनियों की संख्या बताना या कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय की जाने वाली राशि का अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है।

(ग) से (ड.) : कारपोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित प्रावधानों के संबंध में कारपोरेट क्षेत्र की शंकाओं और प्रश्नों के समाधान के लिए कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 अधिसूचित किए गए हैं और स्पष्टीकरण परिपत्र भी जारी किए गए हैं।

*****